न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

---

अपील संख्या :– 91/11 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1 रामेश्वर पुत्र रामदेव

2 अभयसिंह पुत्र रामजीलाल

3 कंवरसिंह पुत्र रामजीलाल

4 जसवन्त पुत्र रामजीलाल

5 बलकेश पत्नी सुरेन्द्र

6 सरजीत सिंह पुत्र मनोहर

7 रामसिंह पुत्र सोहन लाल

8 सुमेर सिंह पुत्र सोहन लाल

9 रामावतार पुत्र सोहन लाल

10. नरेश कुमार पुत्र सोहन लाल

11 सुलतान पुत्र चिरंजी लाल जाति यादव निवासीयान ग्राम सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:------ अपीलांटान

बनाम

1 सोमदत्त पुत्र मूंगाराम

2 रेवती पत्नी जलेसिंह जाति यादव निवासीयान ग्राम सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर

3 तहसीलदार लैंड होल्डर, मुण्डावर जिला अलवर

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

4 राज0 सरकार जरिये जिलाधीश, अलवर

:-----रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखंड अधिकारी, मुंडावर
दिनांक 14.2.2011

---

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 सं01,2 :- श्री महेश यादव

निर्णय दिनांक 15.04.21

---

1 प्रस्तुत अपील तहत अदालत उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 185/08 बाबत इ श्तकरार हक मय इन्द्राज दुरूस्ती में पारित निर्णय दिनांक 14.2.2011 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादीगण का उक्त वाद डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण सोमदत्त वगैरा ने राज्य सरकार के खिलाफ तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि आराजी हाल खसरा नम्बर 27 रकबा 6-18 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर में वादी संख्या 01 का 3/99 तथा शेष 95/98 वादीनी नम्बर 02 की अलोटशुदा गैर खातेदारी की भूमि है । मौके पर वादीगण उपरोक्तानुसार अर्थात कुल रकबा 6-18 पर काबिज है । रेकार्ड में भी इसका अंकन हो रहा है । मौके और रेकार्ड का कोई विवाद नहीं है । परन्तु बंदोबस्त नक्शा में पूर्व से पश्चिम की तरफ भुजा को घुमाकर 67 गड्ठा कर दी अर्थात 79 गड्ठा के स्थान पर नक्शा में 67 गड्ठा उत्तर दक्षिण कर दी । जिससे वादीगण का रकबा हाल नक्शा में कम होता है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद पत्र डिक्री किया है, जिससे व्यथित होकर रामेश्वर वगैरा ने यह अपील धारा 96 सी0 पी0 सी0 मय धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांटान ने सर्वप्रथम अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0 पी0 सी0 पर बहस करते हुये तर्क दिये कि तहत अदालत के निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

से हम व्यथित है । उक्त निर्णय से हमारे अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है । हम आवश्यक पक्षकार है, परन्तु वादीगण ने तहत अदालत में हमको पक्षकार नहीं बनाया । इसलिये हमने यह अपील धारा 96 सी0 पी0 सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दी जावे । उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुये निवेदन किया कि चूंकि हम तहत अदालत में पक्षकार नहीं थे,इसलिये अपीलाधीन निर्णय की हमको समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी । अतः जानकारी के अभाव में हुई देरी को माफ किया जावे । उन्होंने मेरिटस पर बहस करते हुये तर्क दिये कि हमारी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 28 है तथा इस भूमि से लगती हुये वादीगण रेस्पो0 संख्या 1 व 2 आराजी खसरा नम्बर 27 है । तहत अदालत ने पैमायश रिपोर्ट दिनांक 20.6.1970 को आधार मानकर निर्णय पारित किया है । यह रिपोर्ट हमारी गैर मौजूदगी में बनाई गई थी । बंदोबस्त विभाग ने वक्त अलोटमैंट कोई नक्शा तैयार नहीं किया था । जो नक्शा बनाया गया था, वो रेकार्ड एवं मौके के विपरीत बनाया गया था। नक्शे में जो दुरूस्ती के आदेश दिये गये थे, वो हमारी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 28 में दिये गये हैं । तहत अदालत ने जो निर्णय पारित किया है, वह राज0 टिनेंसी एक्ट के तहत पारित किया है, जबकि नक्शे में दुरूस्ती का आदेश राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत ही दिये जा सकते है । इस प्रकार तहत अदालत में वाद पत्र चलने योग्य नहीं था । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । हम व्यथित पक्षकार है, परन्तु हमको तहत अदालत में पक्षकार नहीं बनाया गया । हमको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार कर हमारी सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमांड किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटान ने अपनी बहस के समर्थन में 2015 (1) आर0 आर0 टी0 पेज 608 एवं 2007 (1) आर0 आर0 टी0 पेज 204 का हवाला दिया ।

4 विद्वान वकील वादीगण रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपनी लिखित बहस एवं मौखिक बहस में निवेदन किया कि हमको आराजी खसरा नम्बर 27 रकबा 6–18 अलोट हुई थी । अलोटमैंट के बाद तहसीलदार मुण्डावर के आदेशानुसार दिनांक 20.6.70 को उक्त भूमि की पैमायश की गई थी और हमारी उक्त भूमि के चारों तरफ से रकबा पूरा किया गया था । उक्त पैमायश रिपोर्ट की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपीलांटान को पूर्व से ही बखूबी जानकारी थी। उस वक्त इन्होंने चाराजोही क्यो नहीं की । रेकार्ड एवं मौके का कोई विवाद नहीं है । रेकार्ड एवं मौके पर हमारा रकबा पूरा है । परन्तु बंदोबस्त विभाग ने जो नक्शा बनाया था, उसमें पूर्व से पश्चिम की तरफ भुजा को घुमाकर 79 गड्ठा के स्थान पनर 67 गड्ठा दर्ज कर दिया, जिसकी दुरूस्ती हेतु हमने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत किया, जो सही तौर पर डिक्री किया गया है । श्रीमान जी, तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन फरमावे । उक्त निर्णय के अन्त में लिखा है कि वादीगण का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि उनकी गैर खातेदारी के हाल खसरा नम्बर 27 रकबा 6–18 में नक्शा ढेस में मौके को ध्यान में रखते हुये मुताबिक मौका उत्तर भुजा, जो पूर्व पश्चिम है, को मौके के मुताबिक कायम की जावे अर्थात मौके के अनुसार उत्तर दक्षिण की चौडाई 67 गड्ठा को दुरूस्त कर 79 गड्ठा हाल नक्शा में किया जावे । उक्त निर्णय से सिद्ध है कि मौके के अनुसार हमारी गैर खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 6–18 के नक्शे में दुरूस्ती के आदेश दिये गये हैं । अपीलांटस की आराजी खसरा नम्बर 28 के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है । इसलिये अपीलांटस व्यथित पक्षकार नहीं है । अतः अपीलांटस का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0 पी0 सी0 खारिज करते हुये अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम धारा 96 सी0 पी0 सी0 के प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर गौर किया । विद्वान वकील अपीलांटस का कथन है कि उनकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 28 वादीगण रेस्पो0 संख्या 1 व2 की आराजी खसरा नम्बर 27 से लगती हुई है । तहत अदालत ने जो नक्शा दुरूस्ती का आदेश दिया है, वह अपीलांटस की भूमि खसरा नम्बर 28 में दिया गया है । तहत अदालत के उक्त आदेश से अपीलांटस के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है । इस प्रकार हम व्यथित पक्षकार है । अपीलांटान के इन तर्को के सम्बन्ध में हमने वाद पत्र के तथ्यों, पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों एवं अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया । वाद पत्र में वादीगण ने निवेदन किया है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 27 रकबा 6–18 उनको अलोट हुई थीं । मौका रिपोर्ट दिनांक 20.6.70 द्वारा उक्त भूमि की पैमायश कर वादीगण का रकबा पूरा किया गया था । परन्तु बंदोबस्त ने नक्शा बनाया था, उसमें पूर्व से पश्चिम की तरफ

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

भुजा को घुमाकर 79 गड्ठा के स्थान पर 67 गड्ठा दर्ज कर दिया । अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया । अपीलाधीन निर्णय में तहत अदालत ने आदेश दिये है कि वादीगण की गैर खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 27 रकबा 6-18 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर के नक्शा देस में मौके को ध्यान में रखते हुये मौका अनुसार उत्तर दक्षिण की चौडाई 67 गड्ठा के स्थान पर हाल नक्शा में 79 गड्ठा किया जावे । यह आदेश पूर्व में की गई पैमायश दिनांक 20.6.1970 के आधार पर दिया गया है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन से सिद्ध है कि प्रकरण में विवादित खसरा नम्बर हाल 27 वादीगण रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की गैर खातेदारी का है । वादीगण रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपने खसरा नम्बर 27 के नक्शे में दुरूस्ती चाही है । प्रतिवादी तहसीलदार मुण्डावर ने भी वादीगण के वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया है । तहत अदालत ने वादीगण के खसरा नम्बर 27 के ही नक्शे में दुरूस्ती का निर्णय पारित किया है । अपीलांट का कहना है कि उनकी भूमि हाल खसरा नम्बर 28 रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की आराजी खसरा नम्बर 27 से लगती हुई है । तहत अदालत ने जो निर्णय पारित किया है, वह अपीलांटस की भूमि खसरा नम्बर 28 में पारित किया है, इसलिये अपीलांटस के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है । अपीलांटस के ये कथन तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि तहत अदालत ने विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 27, जो कि वादीगण रेस्पो0 नम्बर 1 व 2 गैर खातेदारी की भूमि है, के सम्बन्ध में ही निर्णय पारित किया है । अपीलांटस की आराजी खसरा नम्बर 28 के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है । केवल कहने मात्र से कि अपीलाधीन निर्णय से अपीलांटस के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है, अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप का आधार नहीं हो सकता । इस प्रकार अपीलांटस किसी भी प्रकार से व्यथित पक्षकार सिद्ध नहीं है । ऐसी स्थिति में अपीलांटस का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0 पी0 सी0 खारिज किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपीलांटस का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0 पी0 सी0 खारिज करते हुये अपील खारिज की जाती है ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सोंखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर